"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 262-अ] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 11 अक्टूबर 2012—आश्विन 19, शक 1934

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 अक्टूबर 2012

आदेश

क्रमांक एफ 6-3/2012/1-7.—महामहिम राज्यपाल द्वारा न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री राजीव गुप्ता को छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग में अध्यक्ष के रिक्त पद पर दिनांक 10-10-2012 को नियुक्ति किया गया है, की सूचना एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

राज भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 अक्टूबर 2012

मैं, शेखर दत्त, राज्यपाल, छत्तीसगढ़, एतद्द्वारा, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का 10) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा मुझमें निहित शक्ति के आधार पर न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री राजीव गुप्ता को छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष उस तारीख से, जिसको वह अपने पद का कार्यभार ग्रहण करते हैं, नियुक्त करता हूं.

भारत गणराज्य के 63वें वर्ष में वर्ष दो हजार बारह से आज तारीख 10 अक्टूबर को राजभवन रायपुर में दिया गया.

By virtue of the power vested in me by sub-section (1) of Section 22 of the Protection of Human Rights Act, 1993 (No. 10 of 1994), I, Shekhar Dutt, Governor of Chhattisgarh do hereby appoint Justice (Retired) Shri Rajeev Gupta to be Chairman of the Chhattisgarh Human Rights Commission with effect from the date he assumes charge of his office.

Given at Raj Bhawan, Raipur this 10th day of October in the year two thousand twelve in the 63rd year of the Republic of India.

हस्ता./-

(शेखर दत्त)
राज्यपाल, छत्तीसगढ़

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.